[illegible]

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:04:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई

व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

गोपालराम बनाम वीरीसिंह बगै0

दावा बाबत् 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 125/2018

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दठ व .... डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नम्बरान 489/1297 रकबा 0.40, 56[illegible] रकबा 0.43, 576/1303रकबा 0.40, 787/1306 रकबा 0.11 वाके ग्राम खंसवारा तहसील कुम्हेर में स्थित है, पर वादी का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – की अदा करें । ————————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ————————

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख **25.11.2024** को जारी की गई ।

दस्तखत———— 25/11/24

मुहर

उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:04:41 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्द[illegible]	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

1. गोपालराम पुत्र गोविन्द सिंह जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।

वादी

बनाम

1. वीरीसिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
2. प्रताप सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
3. प्रहलाद सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
4. रमेश पुत्र गोविन्द सिंह जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
5. मुकेश पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
6. अजयपाल पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
7. बत्तन पत्नी प्रताप जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
8. विश्वमोहनी पत्नी वीरीसिंह जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
9. राजेश पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
10. कमलेश पत्नी रमेश जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।

प्रतिवादीगण

25/11/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:04:41 IST
Reason: SelfAttested

125/18

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 125/2018
जीसीएमएस न. 2018/00295
किस्म दावा 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 25.11.2024

1. गोपालराम पुत्र गोविन्द सिंह जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।

वादी

बनाम

1. वीरीसिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
2. प्रताप सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
3. प्रहलाद सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
4. रमेश पुत्र गोविन्द सिंह जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
5. मुकेश पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग
6. अजयपाल पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
7. बत्तन पत्नी प्रताप जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
8. विश्वमोहनी पत्नी वीरीसिंह जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
9. राजेश पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।
10. कमलेश पत्नी रमेश जाति जाट निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला डीग।

प्रतिवादी

अधिवक्ता श्री अशोक कुमार (वादीगण [illegible] ओर से)
श्री रघुवीरशरण गुप्ता [illegible]

:: निर्णय :: दावा 188 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:04:41 IST
Reason: SelfAttested

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि पत्रावली मुन्तकिली प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर के निर्णय से तलव होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के यहां से इस न्यायालय को हस्तांतरित की गई।

25/11/24

2. यह कि हाल आराजी खसरा नंबर 489/1297 रकबा 0.40, 568 रकबा 0.43, 576/1303रकबा 0.40, 787/1306 रकबा 0.11 वाके ग्राम खंसवारा तहसील कुम्हेर में स्थित है जिसका वादी एकमात्र खातेदार काश्तकार काबिज है। उक्त आराजी वादी को विभाजन से प्राप्त हुई है। विभाजन के बाद न्यारानूर काश्तवादी करता चला आ रहा है परन्तु प्रतिवादी वादी से ईर्ष्या व जलन रखते हैं चूंकि वादी भरतपुर में रहता है इसलिए उसकी उक्त आराजी में आए दिन काश्त में प्रतिवादीगण व्यवधान करते हैं तथा खडी फसल को नष्ट कर ले जाते हैं, वादी के पीछे से फसल व बिजली को नष्ट कर इस वर्ष भी वादी को बोई गई फसल को जबरदस्ती प्रतिवादीगण काटकर ले गए जिसकी रिपोर्ट थाना कुम्हेर में की गई जो जेर अनुसंधान है।

3. यह कि वादी दिनांक 07.05.16 को अपनी खातेदारी की आराजी की जुताई कराने गांव गया तो समस्त प्रतिवादीगण एकत्रित हो गए और आराजी को जोतने नहीं दिया तथा आराजी पर जबरन बेदखल की धमकी दी गई तथा काश्त नहीं करने देंगे जबकि प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है। इस प्रकार वादी को दी गई धमकी कामयाब हो गई तो वादी को अजीम क्षति होगी। अतः वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री, स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है, कि वादी की आराजीयात के कब्जेकाश्त में मदाखलत व मजामहत न करे तथा जुताई, बुवाई आदि में व्यवधान पैदा न करे। अतः प्रार्थना है कि वादपत्र की मद संख्या 2 अनुसार विवादित आराजीयात में वादी को कब्जेकाश्त से बेदखल न करे, मदाखलत मजाहमत न करे तथा वादी को जबरन बुवाई जुताई एवं सिंचाई में व्यवधान पैदा न करे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 4, 5 व 6 की ओर से श्री रघुवीरशरण एडवोकेट उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगणों की तामील बाबजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 व 6 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाव दावा के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई। जो निम्न प्रकार है।

1. आया वादी द्वारा विवादित आराजीयात को जरिए विभाजन से प्राप्त किया है जिस पर वादी एकमात्र खातेदार काश्तकार व काबिज है ? जिम्मे वादीगण
2. आया वादी को विवादित आराजीयात विभाजन की एकतरफा डिक्री से प्राप्त हुई है जिसके संबंध में अपील श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में उनवानी प्रताप सिंह बनाम गोपाल बगै0 विचाराधीन है — जिम्मे प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबंदी संबत 2070–73 वाके ग्राम खंसवारा तहसील कुम्हेर प्रदर्श 1, नकल रिट राज हाईकोर्ट जयपुर पिटीशन नंबर 7/78/24 गोपालराम बनाम सरकार प्रदर्श 2, नकल रिलीज डीड व विरासत दाखिला खारिज संख्या 471 वाके ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 16:04:41 IST
Reason: Self Attested

25/11/24

118

खंसवारा पेश किए गए। तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी गोपालराम पु गोविन्द सिंह जाति जाट निवासी खंसवारा पेश किए गए।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल आदेशि अपील प्रतापसिंह बनाम गोपालराम वगै0 अपील संख्या 8/24 दिनांक 30.05.24 प्रदर्श 1ए , नकल आदेशिका निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर, निर्ण मु0 गोपालराम बनाम प्रतापसिह संख्या 12/2008 प्रदर्श 2ए, नकल सत्यप्रति तारीख 28.09.2021 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर मु0 सं0 20/18 उनवान गोपालराम बनाम वीरीसिंह प्रदर्श 3ए, नकल निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई मु0 न0 08/2018 गोपालराम बनाम वीरीसिंह प्रार्थना पत्र 21 (2) दिनांक 21.03.2018 प्रदर्श 5ए, नकल तहसीलदार रिपोर्ट मौका जांच दिनांक 08.03.18 प्रदर्श 6 ए, नकल एफआर संख्या 93/17, अंतिम रिपोर्ट न्यायाल एसीजेएम कुम्हेर प्रदर्श 7 ए, नकल कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 02.02.2008 पटवार मण्डल खंसवारा , नकल एफआर 1.01.2019, नकल प्रार्थना पत्र आदेश 9 नि... 13 प्रतापसिंह बनाम गोपालराम वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर, नकल प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 प्रताप सिंह बनाम गोपालराम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर, नकल राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर आदेशिका प्रतापसिंह बनाम गोपालराम दिनांक 29.05.18 से 05.08.19 पेश की गई। नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2008 न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर पेश कि गए तथा मौखिक बयान के रूप में प्रतिवादी वीरीसिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति जाट निवासी खंसवारा पेश किए गए।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार इस प्रकार है—

1. आया वादी द्वारा विवादित आराजीयात को जरिए विभाजन से प्राप्त किया है जिस पर वादी एकमात्र खातेदार काश्तकार व काबिज है।— उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2070 से 73 वाके ग्राम खंसवारा पेश की गई जिसमें विवादित आराजी खसरा नंबर 489/1297, 566, 576/1303, 787/1306 वाके ग्राम खंसवारा पर वादी गोपालराम की खातेदारी का अंकन हो रहा है। उक्त विवादित आराजी वादी गोपालराम को जरिए मुकदमा 12/2008 मु0 उनवान गोपालराम बनाम प्रतापसिंह वगै0 जो कि वाद धारा 53, 188 आरटीए के तहत विभाजन का था जिसका निर्णय दिनांक 22.02.2008 को मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 22.08.2008 अनुसार किया गया जिसमें कुर्रा नंबर ... से प्राप्त वादी गोपालराम को उक्त विवादित आराजी प्राप्त हुई है। उक्त वाद का निर्णय ... न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई में किया गया तथा निर्णय डिक्री एकतरफा में जारी की गई उक्त रकबा विभाजन कुर्रा नंबर 1 से जो ... प्राप्त हुई है उसके मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में भी अंकन हो रहा है ... प्रदर्श 1 से साबित है। तथा पत्रावली में उपलब्ध कुर्रा रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि कुर्रा रिपोर्ट जो हल्का पटवारी द्वारा ... गई है वह राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना न करते ... बनाकर पेश की गई है उक्त कुर्रा रिपोर्ट पर तहसीलदार कुम्हेर के हस्ताक्षर भी नहीं है और न ही उभयपक्षकार के हस्ताक्षर है एवं न ही कुर्रा रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dh... Meghnani
Date: 2025.06.23 15:04:41 IS...
Reason: Self Attested

25/11/24

1237/10 2

बनाए जाने के संबंध में किसी भी पक्षकार को नोटिस जारी किए गए और न ही पक्षकारों को सूचित किया गया। इस प्रकार उक्त कुर्रा रिपोर्ट जो बनाई गई है वह एकतरफा में बनाई गई है जो कि मौके एवं काश्त के अनुरूप नहीं बनाई गई है। उक्त कुर्रा रिपोर्ट नियमुनसार न होकर नियम विरूद्ध पेश की गई है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा उक्त कुर्रा रिपोर्ट के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई है। उक्त निर्णय व डिक्री की प्रतिवादी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर में की गई है जो कि अभी विचाराधीन है चूंकि विवादित आराजी अभी विवादग्रस्त है। विवादित आराजी में यह नहीं कहा जा सकता कि कौनसे रकबा पर किसका कब्जा है तथा किसको कौनसा रकबा कहां मिला है चूंकि विवादित आराजी स्व... आराजी नहीं रही है। तथा विवादित आराजी के संबंध में न्यायालय आरएए भरतपुर में अपील विचाराधीन है जिसका अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जब तक विवादित आराजी का अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता है तब तक विवादित आराजी वादग्रस्त है। इस प्रकार वादी का वादपत्र मेन्टेनेबल नहीं है तथा बिना कब्जे के आधार पर दावा धारा 188 आरटीए के तहत का वाद नहीं लाया जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त तनकी वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

2. आया वादी को विवादित आराजीयात विभाजन की एकतरफा डिक्री से प्राप्त हुई है जिसके संबंध में अपील श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में उनवानी प्रताप सिंह बनाम गोपाल बगै0 विचाराधीन है– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था। प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी का एकतरफा निर्णय व डिक्री की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में पेश की गई है जो अपील संख्या 08/24 उनवानी प्रतापसिंह बनाम गोपालराम वगै0 की नकल प्रतिवादी द्वारा पेश की गई। उक्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि विवादित आराजी बाबत् वाद राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर में विचाराधीन है जिसका अभी निर्णय नहीं हुआ है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र मैन्टेनेबल नहीं है एवं विवादित आराजी बाबत् वाद अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में विचाराधीन है अतः वादी का वाद काबिल खारिजी के है।

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नम्बरान 489/1297 रकबा 0.40, 568 रकबा 0.43, 576/1303रकबा 0.40, 787/1306 रकबा 0.11 वाके ग्राम खंसवारा तहसील कुम्हेर में स्थित है, पर वादी का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में उद्घोषित कर जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:04:41 IST
Reason: SelfAttested

25/11/24
(गंगाधर मीणा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई
नदबई (भरतपुर)